[2007] 8 एस.सी.आर 429

तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड

बनाम

शहर और औद्योगिक विकास निगम, महाराष्ट्र और अन्य

20 जुलाई, 2007

[डॉ. अरिजीत पासायत और लोकेश्वर सिंह पांटा, जे. जे.]

भारत का संविधान, *1950:*

अनुच्छेद *226* के साथ पठित अनुच्छेद *131* -केन्द्र सरकार की ईकाई व राज्य सरकार की ईकाई के मध्य विवाद- रीट याचिका-धारणीयता- माना गयाः विवाद की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए और सुप्रिम कोर्ट के निर्णयों के आलोक में, निर्णय में उल्लेखित किये गये अधिकारियों की एक समिति का गठन केन्द्र सरकार व राज्य सरकार के बीच विवाद को शीघ्रता से सुलझाने के लिये किया गया- दिशानिर्देश जारी किये गये।

अपीलार्थी-निगम, भारत सरकार की एक इकाई, ने उत्तरदाता शहर और औद्योगिक विकास निगम, एक राज्य सरकार की इकाई, के खिलाफ एक रिट याचिका दायर की, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, इसके तहत आने वाले भूखंडों के कब्जे के संबंध में समझौते को निष्पादित करने का निर्देश दिये जाने। उच्च न्यायालय द्वारा अंततः यह माना गया कि मुद्दे संविदात्मक मामलों और रिट से संबंधित हैं रिट याचिका उचित उपाय नहीं थी। व्यथित हाेकर, रीट याचिकाकर्ता ने वतर्मान अपील दायर की।

अपील का निपटारा करते हुए,

अभिनिर्धारित किया: वतर्मान मामले में, सिडको एक राज्य इकाई है और अपीलार्थी है एक केंद्रीय इकाई। मतभेदों को सुलझाने के लिए एक समिति बनाने की वांछनीयता सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राज्य सरकारों और विभिन्न सरकारी विभागों के बीच इस न्यायालय द्वारा कई मामलों में उजागर की गई है। यह मामला 1990 से लंबित है। विवाद की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, जो एक आवर्ती विशेषता है, यह निर्देश दिया जाता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की संस्थाओं के बीच मतभेदों को दूर करने के लिए निर्णय में उल्लिखित अधिकारियों की एक समिति का गठन शीघ्रता से किया जाए। [पैरा 7,10 और 11] [431-एच; 432-ए; 436-बी-डी]

मुख्य वन संरक्षक, ए.पी. सरकार बनाम कलेक्टर और अन्य, [2003] 2 एस.सी.आर. 180=[2003] 3 एस.सी.सी.472; पंजाब और सिंध बैंक बनाम इलाहाबाद बैंक और अन्य [2006] 3 एस.सी.आर 489=2006 4 एस.सी.सी 780; यू. पी. एस. ई. बी और अन्य बनाम संत कबीर सहकारी कताई मिल्स लिमिटेड [2005] 3 सप.एस.सी.आर.293= [2005] 7 एस.सी.सी. 576 और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड बनाम अध्यक्ष, केंद्रीय बोर्ड, प्रत्यक्ष कर और अन्य, [2004] 2 सप. एस.सी.आर. 593=[2004] 6 एस. सी.सी. 431, भरोसा किया।

मेसर्स पॉपकॉर्न एंटरटेनमेंट और अन्य बनाम शहरी औद्योगिक विकास निगम व अन्य, जे.टी. (2007) 4 एस.सी. 70; भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बनाम गंगा उद्यम और अन्य, [2003] 3 सप.एस.सी.आर. 114=[2003] 7 एस.सी.सी. 410 और

राजुरेश्वर एसोसिएट्स बनाम महाराष्ट्र राज्य, [2004] 2 पूरक एस.सी.आर 915=[2004] 6 एस.सी.सी.362; व्हर्लपूल कॉर्पोरेशन बनाम ट्रेड मार्क्स पंजीयक, मुंबई और अन्य, [1998] 2 सप. एस.सी.आर 359=[1998] 8 एस.सी.सी 1 और तेल और प्राकृतिक गैस आयोग और अन्य बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर, [1992] पूरक 2 एस.सी.सी. 432, उद्धृत।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारिताः सिविल अपील संः 3143/2007

उच्च न्यायालय, बाॅम्बे के सिविल रीट याचिका नंबर 4036/2001 में पारित निर्णय और आदेश दिनांकित 28.7.2004 से।

गौरव बनर्जी, सुनील कुमार जैन, एस. बोरठाकुर और जया तोमर अपीलार्थी के लिए।

अल्ताफ अहमद, वरुण ठाकुर और ए. एस. भास्मे उत्तरदाताआें के लिए।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया।

डॉ. अरिजीत पासायत, जे.

1. अनुमति दी गई।

2. इस अपील में चुनौती बॉम्बे उच्च न्यायालय की एक खण्ड न्यायपीठ द्वारा 2001 की सिविल रिट याचिका संख्या 4036 को 2004 की सिविल एप्लिकेशन संख्या 1583 के साथ खारिज करने के आदेश को दी गई है। यह अभिनिर्धारित किया गया कि इस

न्यायालय के कई निर्णयों के संदर्भ में संविदात्मक मामलों में रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि ऐसा कोई कारण नहीं है जिसके लिए भारत सरकार का उपक्रम दीवानी मुकदमे के वैकल्पिक उपाय को दरकिनार करे।

3. संक्षेप में पृष्ठभूमि तथ्य इस प्रकार हैंः

एक रीट याचिका अपीलार्थी द्वारा शहर और औद्योगिक विकास निगम महाराष्ट्र लिमिटेड (इसके बाद 'सिडको' के रूप में संदर्भित किया गया है) पर अपीलार्थी-कंपनी के साथ पट्टे के समझौते को निष्पादित नहीं करने में निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए दायर की गई। रिट याचिका में प्रार्थना एक उचित रिट जारी करने के निर्देश के लिए की गई थी, जिसमें सिडको को समझौतों के अंतर्गत आने वाले भूखंडों के कब्जे के संबंध में समझौते को निष्पादित करने की आवश्यकता थी। प्रार्थना अनिवार्य रूप से (i) भंडखाल (नवघर), तालुका उरण में स्थित अपीलकर्ता के पक्ष में सीमांकित 24 हेक्टेयर भूमि के भूखंड का कब्जा सौंपने के साथ-साथ भूमि के उक्त भूखंड की सीमा तक पहुंच मार्ग और पानी की आपूर्ति करने; (ii) भूमि के उक्त भूखंड के संबंध में विशेष रूप से दिनांक 5 मार्च, 1984 के आवंटन पत्र में निर्धारित अवधि के लिए एक पट्टा समझौता निष्पादित करने;(iii) दिनांक 24 जुलाई, 1990 के पत्र में निहित सेवा शुल्क की मांग के संबंध में उचित रिट जारी करने अ ा ै र (iv) अन्य राहत।

4. उच्च न्यायालय ने पक्षों के बीच हुए कई पत्राचारों का हवाला दिया, लेकिन अंततः माना कि मुद्दे संविदात्मक मामलों और रिट से संबंधित हैं रिट याचिका उचित उपाय नहीं थी। रिट याचिका की पोषणीयता के संबंध में निष्कर्ष भी दर्ज किए गए।

5. अपील के समर्थन में, अपीलार्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया है कि विवाद में दो सार्वजनिक निकाय शामिल हैं। अपीलार्थी के विद्वान वकील ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस न्यायालय ने मैसर्स पॉपकॉर्न एंटरटेनमेंट अ ा ै र अन्य बनाम शहरी औद्योगिक विकास निगम व अन्य, जे. टी. (2007) 4 एस.सी. 70 में रिट याचिका की पोषणीयता के बारे में पैरा 15 में अभिनिर्धारित किया है ै। फैसले के पैराग्राफ 42 में यह उल्लेख किया गया था कि कोई विवाद नहीं था और वास्तव में रिट याचिका की विचारणीयता के संबंध में रियायत थी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बनाम गंगा उद्यम और अन्य, [2003] 7 एस.सी.सी. 410 और राजुरेश्वर एसोसिएट्स बनाम महाराष्ट्र राज्य, [2004] 6 एस.सी.सी. 362 का संदर्भ दिया जाकर तर्क दिया कि सभी संविदात्मक मामलों में एक रिट आवेदन पर विचार किया जा सकता है। तीन परिस्थितियाँ जिनमें संविदात्मक मामलों से संबंधित रिट आवेदनों पर विचार किया जा सकता है, व्हर्लपूल कॉर्पोरेशन बनाम ट्रेड मार्क्स रजिस्ट्रार, मुंबई और अन्य, (1998 (8) एससीसी 1 में निर्धारित की गई थीं।

6. दूसरी ओर विद्वान वरिष्ठ वकील श्री अल्ताफ अहमद ने निवेदित किया कि इस प्रकृति के विवाद में, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग और अन्य बनाम केंद्रीय उत्पाद

शुल्क कलेक्टर, [1992] पूरक 2 एस.सी.सी.432 में इस न्यायालय द्वारा संकेतित पाठ्यक्रम लागु कर सकते है।

7. मौजूदा मामले में, सिडको एक राज्य इकाई है और अपीलकर्ता एक केंद्रीय इकाई है। इस न्यायालय द्वारा कई मामलों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राज्य सरकारों, विभिन्न सरकारों के बीच मतभेदों को सुलझाने के लिए एक समिति बनाने की वांछनीयता पर प्रकाश डाला गया है। मुख्य्य वन संरक्षक, ए. पी. सरकार बनाम कलेक्टर और अन्य, [2003] 3 एस.सी.सी. 472 में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित हैः

> "14. संविधान की योजना के तहत, अनुच्छेद 131 भारत संघ के दो राज्यों या एक या अधिक राज्यों और भारत संघ के बीच विवाद के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को मूल क्षेत्राधिकार प्रदान करता है। संविधान या सीपीसी के निर्माताओं द्वारा इस पर विचार नहीं किया गया था कि किसी राज्य या भारत संघ के दो विभाग अदालत में मुकदमा लड़ेंगे। किसी राज्य या भारत संघ के दो विभागों के लिए अदालत में मुकदमा लड़ना न तो उचित है और न ही स्वीकार्य है। वास्तव में, ऐसा पाठ्यक्रम सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक हो सकता है क्योंकि इसमें सार्वजनिक धन और समय की बर्बादी भी शामिल है जिसे टाला जा सकता है। सरकार के विभिन्न विभाग उसके अंग हैं और इसलिए, उन्हें समन्वय से काम करना चाहिए न कि टकराव से। उच्च न्यायालय के असाधारण क्षेत्राधिकार का उपयोग

करके एक विभाग द्वारा दूसरे के खिलाफ रिट याचिका दायर करना न केवल औचित्य और राजनीति के खिलाफ है, बल्कि इससे अनुशासनहीनता की बू आती है लेकिन यह कानून की मूल अवधारणा के भी विपरीत है जिसके लिए आवश्यक है कि मुकदमा करने या मुकदमा दायर करने के लिए या तो प्राकृतिक या न्यायिक व्यक्ति होना चाहिए। भारत के राज्यों/संघ को सरकार के स्तर पर सभी अंतरविभागीय विवादों को शांत करने के लिए एक तंत्र विकसित करना चाहिए और ऐसे मामलों को विवाद के समाधान के लिए अदालत में नहीं ले जाया जाना चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और भारत संघ के बीच विवादों के मामले में, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग बनाम सीसीई (1992) सप्लिमेंट 2 एससीसी 432 मामले में इस न्यायालय ने ऐसे मामलों को संभालने के लिए कैबिनेट सचिव को बुलाया था। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग बनाम सीसीई (1992) सप्लिमेंट 4 एससीसी 541 में इस न्यायालय ने केंद्र सरकार को उद्योग मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो और कानून मंत्रालय के प्रतिनिधियों से युक्त एक समिति गठित करने के निर्देश, भारत सरकार के मंत्रालय और मंत्रालय, भारत सरकार के मंत्रालय और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच विवादों की निगरानी करने, यह सुनिश्चित करने के लिए कि समिति द्वारा पहले

मामले की जांच किए बिना और मुकदमेबाजी के लिए उसकी मंजूरी के बिना कोई भी मुकदमा अदालत या न्यायाधिकरण में नहीं आये, के दिये। सरकार किसी विशिष्ट मामले में संबंधित मंत्रालय के एक प्रतिनिधि और वित्त मंत्रालय के एक प्रतिनिधि को समिति में शामिल कर सकती है। वरिष्ठ अधिकारियों को ही नामांकित किया जाना चाहिए ताकि समिति प्रतिष्ठा, नियंत्रण एवं अनुशासन के साथ कार्य कर सके।

15. इस अपील के तथ्य, ऊपर देखे गए, एक मजबूत मामला बनाते हैं कि राज्य सरकार द्वारा भी राज्य के विभिन्न विभागों या राज्य और उसके किसी उपक्रम के बीच उत्पन्न विवाद को हल करने के लिए इसी तरह की समितियों की स्थापना की आवश्यकता महसूस की गई है। राज्य सरकारों के लिए यह उचित होगा कि वे एक समिति गठित करें जिसमें राज्य के मुख्य सचिव, संबंधित विभागों के सचिव, कानून सचिव और जहां वित्तीय प्रतिबद्धताएं शामिल हों, वहां वित्त सचिव शामिल हों। ऐसी समिति द्वारा लिया गया निर्णय सभी संबंधित विभागों पर बाध्यकारी होगा और सरकार का रुख वही होगा।"

8. पंजाब और सिंध बैंक बनाम इलाहाबाद बैंक और अन्य, [2006] 4 एससीसी 780 में इस प्रकार अवलोकित किया गयाः

"6. इस मामले की फिर से जांच मुख्य वन संरक्षक बनाम कलेक्टर (2003) 3 एससीसी 472 के मामले में की गई। पैरा 14 और 15 में यह उल्लेख किया गया था:

"संविधान की योजना के तहत, अनुच्छेद 131 भारत संघ के दो राज्यों या एक या अधिक राज्यों और भारत संघ के बीच विवाद के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को मूल क्षेत्राधिकार प्रदान करता है। संविधान या सीपीसी के निर्माताओं द्वारा इस पर विचार नहीं किया गया था कि किसी राज्य या भारत संघ के दो विभाग अदालत में मुकदमा लड़ेंगे। किसी राज्य या भारत संघ के दो विभागों के लिए अदालत में मुकदमा लड़ना न तो उचित है और न ही स्वीकार्य है। वास्तव में, ऐसा पाठ्यक्रम सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक हो सकता है क्योंकि इसमें सार्वजनिक धन और समय की बर्बादी भी शामिल है जिसे टाला जा सकता है। सरकार के विभिन्न विभाग उसके अंग हैं और इसलिए, उन्हें समन्वय से काम करना चाहिए न कि टकराव से। उच्च न्यायालय के असाधारण क्षेत्राधिकार का उपयोग करके एक विभाग द्वारा दूसरे के खिलाफ रिट याचिका दायर करना न केवल औचित्य और राजनीति के खिलाफ है, बल्कि इससे अनुशासनहीनता की बू आती है लेकिन यह कानून की मूल अवधारणा के भी विपरीत है जिसके लिए आवश्यक है कि मुकदमा करने या मुकदमा दायर करने के लिए या तो

प्राकृतिक या न्यायिक व्यक्ति होना चाहिए। भारत के राज्यों/संघ को सरकार के स्तर पर सभी अंतरविभागीय विवादों को शांत करने के लिए एक तंत्र विकसित करना चाहिए और ऐसे मामलों को विवाद के समाधान के लिए अदालत में नहीं ले जाया जाना चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और भारत संघ के बीच विवादों के मामले में, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग बनाम सीसीई (1992) सप्लिमेंट 2 एससीसी 432 मामले में इस न्यायालय ने ऐसे मामलों को संभालने के लिए कैबिनेट सचिव को बुलाया था। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग बनाम सीसीई (1992) सप्लिमेंट 4 एससीसी 541 में इस न्यायालय ने केंद्र सरकार को उद्योग मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो और कानून मंत्रालय के प्रतिनिधियों से युक्त एक समिति गठित करने के निर्देश, भारत सरकार के मंत्रालय और मंत्रालय, भारत सरकार के मंत्रालय और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच विवादों की निगरानी करने, यह सुनिश्चित करने के लिए कि समिति द्वारा पहले मामले की जांच किए बिना और मुकदमेबाजी के लिए उसकी मंजूरी के बिना कोई भी मुकदमा अदालत या न्यायाधिकरण में नहीं आये, के दिये। सरकार किसी विशिष्ट मामले में संबंधित मंत्रालय के एक प्रतिनिधि और वित्त मंत्रालय के एक प्रतिनिधि को समिति में शामिल कर सकती है। वरिष्ठ अधिकारियों

को ही नामांकित किया जाना चाहिए ताकि समिति प्रतिष्ठा, नियंत्रण एवं अनुशासन के साथ कार्य कर सके।

इस अपील के तथ्य, ऊपर देखे गए, एक मजबूत मामला बनाते हैं कि राज्य सरकार द्वारा भी राज्य के विभिन्न विभागों या राज्य और उसके किसी उपक्रम के बीच उत्पन्न विवाद को हल करने के लिए इसी तरह की समितियों की स्थापना की आवश्यकता महसूस की गई है। राज्य सरकारों के लिए यह उचित होगा कि वे एक समिति गठित करें जिसमें राज्य के मुख्य सचिव, संबंधित विभागों के सचिव, कानून सचिव और जहां वित्तीय प्रतिबद्धताएं शामिल हों, वहां वित्त सचिव शामिल हों। ऐसी समिति द्वारा लिया गया निर्णय सभी संबंधित विभागों पर बाध्यकारी होगा और सरकार का रुख वही होगा।"

7. उपरोक्त निर्देशों को महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड बनाम अध्यक्ष, केंद्रीय बोर्ड, प्रत्यक्ष कर और अन्य, [2004] 6 एस.सी.सी. 431 में उद्धृत किया गया था और पैराग्राफ 8 में अपनाया गया था। इसे इस प्रकार नोट किया गया थाः

"निस्संदेह, अदालत में किसी अधिकार को लागू करने के अधिकार को ख़त्म नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, यह याद रखना चाहिए कि अदालतें बड़ी संख्या में मामलों से बोझिल हैं। ऐसे अधिकांश मामले सरकारी विभागों और/या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित हैं।

जैसा कि मुख्य वन संरक्षक मामले [2003] 3 एससीसी 472 में कहा गया है, संविधान या सिविल प्रक्रिया संहिता के निर्माताओं द्वारा इस पर विचार नहीं किया गया था कि एक राज्य या भारत संघ के दो विभाग और/या सरकार का एक विभाग और एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम अदालत में मुकदमा लड़ेंगे। ऐसा पाठ्यक्रम सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक है क्योंकि इसमें सार्वजनिक धन और समय की बर्बादी होती है जिसे टाला जा सकता है। ये सभी सरकार के अंग हैं और इन्हें समन्वय से काम करना चाहिए, टकराव से नहीं। इस न्यायालय द्वारा स्थापित तंत्र, जैसा कि श्री अंध्यारुजिना ने सुझाव दिया है, केवल सरकारी विभागों के बीच सुलह कराने के लिए नहीं है। इसकी स्थापना यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भी की गई है कि तुच्छ विवाद उच्चाधिकार प्राप्त समिति की मंजूरी के बिना अदालतों के सामने न आएं। यदि संभव हुआ तो उच्चाधिकार प्राप्त समिति विवाद का समाधान कर देगी। यदि विवाद नहीं सुलझा तो समिति निस्संदेह मंजूरी दे देगी। हालाँकि, सरकार के किसी विभाग या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा प्रस्तावित तुच्छ मुकदमेबाजी भी हो सकती है। इसे उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा रोका जा सकता है। ऐसे में विवाद सुलझने का सवाल ही नहीं उठता। समिति को केवल मुकदमेबाजी की अनुमति देने से इनकार करना होगा। ऐसे मामले में

विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का कोई अधिकार प्रभावित नहीं होता है। तुच्छ प्रकृति का मुकदमा अदालत में नहीं लाया जाना चाहिए। याद रहे कि लगभग सभी मामलों में कोई न कोई पक्ष उच्चाधिकार प्राप्त समिति के निर्णय से खुश नहीं होगा। असंतुष्ट पक्ष हमेशा यह दावा करेगा कि उसके अधिकार प्रभावित हुए हैं, जबकि वास्तव में, कोई अधिकार प्रभावित नहीं होता है। समिति का गठन सरकार के उच्च पदस्थ अधिकारियों से किया जाता है, जिनकी विवाद में कोई रुचि नहीं होती, इसलिए उम्मीद की जाती है कि उनका निर्णय निष्पक्ष और ईमानदार होगा। भले ही विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को निर्णय अरुचिकर लगे, अनुशासन के लिए आवश्यक है कि वे इसका पालन करें। अन्यथा इस अभ्यास का पूरा उद्देश्य खो जाएगा और प्रत्येक पक्ष जिसके खिलाफ निर्णय दिया गया है वह दावा करेगा कि उनके साथ अन्याय हुआ है और उनके अधिकार प्रभावित हुए हैं। ऐसा नहीं करने दिया जाना चाहिए।"

8. ओएनजीसी *I* से *III* मामले (उपराेक्त), मुख्य संरक्षक का मामला (उपराेक्त) और महानगर टेलीफोन का मामला (उपराेक्त) केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित विवादों से निपटते हैं। इन मामलों के तथ्यों पर उनका कोई प्रभाव नहीं है क्योंकि उच्च न्यायालय ने अपने एकाएक निष्कर्ष के लिए कोई कारण

नहीं बताया है कि रिट याचिकाकर्ता सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं। उस संबंध में तथ्यात्मक निर्धारण के अभाव में, निर्णयों का कोई उपयोग नहीं हो सकता है।

9. स्थिति की जांच यू. पी. एस. ई. बी. और अन्य बनाम संत कबीर सहकारी कताई मिल्स लिमिटेड, [2005] 7 एस.सी.सी. 576 और महानगर टेलीफोन निगम के मामले (उपराेक्त) में भी की गई है।

10. यह मामला 1990 से लंबित है। विवाद की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए विवाद जो एक आवर्ती विशेषता है, हम निर्देश देते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की संस्थाओं के बीच मतभेदों को दूर करने के लिए एक समिति का गठन किया जाए। ऐसी समिति की संरचना इस प्रकार होगीः

(1) संघ के कैबिनेट सचिव;

(2) राज्य के मुख्य सचिव;

(3) संघ और राज्य के संबंधित विभागों के सचिव; और

(4) संबंधित उपक्रमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी।

11. चूंकि मामला लंबे समय से लंबित है, इसलिए हम निर्देश देते हैं कि इस निर्णय की प्रति की प्राप्ति की तारीख से 4 महीने के भीतर निर्णय लेने के लिए तुरंत समिति का गठन किया जाएगा।

12. अपील का निपटारा बिना किसी आदेश के लागत के रूप में किया जाता है।

आर. पी.

अपील का निपटारा किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी विकास नेहरा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।